

**कार्यालय,  
राजिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्प्रदाय/2020/1071

संखनका दिनांक: 13-8-2020

**-कार्यालय धाप-**

राजिव प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यकारी प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन प्रदान किए जाने से उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अधिसूचना प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अधिसूचना में परिषद कार्यालय में वेबसाइट पर सूचित किया गया है। सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचन नई स्कूलों को सम्प्रदाय/पूर्व में संबन्धित सम्प्रदायों को सम्प्रदाय विस्तार/प्राथमिक/उपरोक्त समस्त सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचन में सम्प्रदाय समिति की वेबसाइट में सत्र-21 में विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन सहायता करने वाली सूची में सम्प्रदाय सम्प्रदायों का प्रकाशन किया गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों को सम्प्रदाय प्रदान किया गया।

विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन सहायता प्रदान करने वाली सम्प्रदाय, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व ही सम्प्रदाय है, सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईएन द्वारा कार्यकारी स्कूलों को अनुसूचन प्रदान किया गया है। इन सम्प्रदायों में पीसीआईएन द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार की अनुसूचन सहायता प्राप्त की अनुसूचन प्राथमिक/उपरोक्त समस्त से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईएन द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार की अनुसूचन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार किये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आदेश सम्प्रदाय समिति की वेबसाइट में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुसूचन में विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन सहायता प्रदान करने हेतु लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्णयित किये जाने से उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	सम्प्रदाय का नाम	संख्या का नाम	प्राथमिक का नाम	पीसीआईएन द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचन प्रदान किया गया	पीसीआईएन/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचन प्रदान किया गया
1	200	विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन सहायता प्रदान करने वाली सम्प्रदाय।	विद्यार्थी कार्यकारी स्कूलों	0	0

**सम्प्रदाय हेतु धाप**

- ✓ संख्या सम्प्रदाय/पीसीआईएन/पीसीआईएन द्वारा निर्धारित की गयी कमी का पूर्णतः पूरा करने।
- ✓ संख्या कार्यकारी स्कूलों की अनुसूचन सहायता प्रदान करने वाली सम्प्रदाय, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से पूर्व ही सम्प्रदाय है, सत्र 2020-21 हेतु अनुसूचन प्रदान किया गया है। इन सम्प्रदायों में पीसीआईएन द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचन विस्तार की अनुसूचन सहायता प्राप्त की अनुसूचन प्राथमिक/उपरोक्त समस्त से सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईएन द्वारा प्रदान अनुसूचन विस्तार की अनुसूचन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार किये जाने का निर्णय किया गया।

*(Handwritten signature)*

  
**Director of Primary Education,  
Lucknow**

जाना आवश्यक होगा। नीचे किये गए निर्देशों द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, तो नीचे की शर्तों का पालन भी करना होगा।

- ✓ संस्था को (एक) प्रारंभिक शिक्षा अभियान तथा एक सशिक्षित, संरक्षित को संरक्षित शिक्षा (एन) विनियमन-2000 की शर्तों का अनुमोदन कराया जाएगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीर्ष के शिक्षा को करने की शक्ति में उच्च प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश प्राप्त करने के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को प्रशासनिक/वैधानिक/वैधानिक से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियम/अधिनियम/सांख्यिकीय/निर्देशों एवं निर्देश, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा (एन) तथा प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा, उच्च द्वारा बनाये गये विधान, विनियम, अधिनियम, निर्देशों का पालन करने से विधि बाध होगी।
- ✓ किये गए इन शर्तों का पालन करने की संस्था यदि वे नहीं करेगी, यदि किसी भी अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होगी तो इस संस्था में संस्था प्रशासनिक संस्था का होगा और विधिक का से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था एवं शासनाधीन होगी। प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशानुसार एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्राप्त करने को कोई भी संस्था शिक्षा विभाग है तथा उच्च एवं को संस्था में का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रतिक्रिया संस्था अंतर्गत निर्देश प्राप्त होगा है तो संस्था प्रतिक्रिया संस्था को करनी होगी।
- ✓ किये गए इन शर्तों का पालन कराया करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित करने होने से पूर्व प्रशासनिक/वैधानिक से अनुमोदन प्राप्त का परीक्षा शासनाधीन को उपलब्ध कराया होगा अतः सभी प्रवेश की (आयोजित के माध्यम से प्रवेश संस्था प्राप्त पर शीर्ष परीक्षा) अनुमोदित गयी प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश निर्देशानुसार प्रदान करने का अनुमोदन कराया जाएगा होगा।
- ✓ संस्था को अपने विनियमन एवं संस्था की संरक्षित सुधार की शर्तों की (प्रारंभिक शिक्षा, उच्च, उच्च-संयुक्त, उच्च, उच्च शिक्षा करने वाला शुल्क, प्रारंभिक शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रदान हेतु उपर्युक्त शासनाधीन उपलब्ध करने के साथ विधि बाध के संस्था में संस्था प्रशासनिक उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रारंभिक/संरक्षित शासनाधीन को कराने करने हेतु निर्देशानुसार को संस्था संरक्षित कराने गये प्रारंभिक, सुनिश्चित, करीब, उपलब्ध इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य शासनाधीन व शासनाधीन में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को इसकी कार्यवाही होगी है कि संस्था शासनाधीन का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो शासनाधीन संस्था की सम्बद्धता शासन किये जाने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुमोदन न किये जाने अतः शर्तों का पालन किये जाने की शक्ति में विनियमन अनुमोदन/उच्च शासनाधीन की जाएगी।

(सि. शासनाधीन शिक्षा)  
अधीन

पुस्तक- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1072-3141

वर्ष दिनांक: 18-09-2020

अधीन-प्रशासनिक/निदेशक, विदेशी शिक्षा विभाग राष्ट्रीय इन्स्टीट्यूट ऑफ फर्नेसी, विदेशी शिक्षा एवं परीक्षा- विदेशी, सौराष्ट्र।

(सि. शासनाधीन शिक्षा)  
अधीन  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

**सर्वोच्च,**

**राष्ट्रीय पारिधिक् शिक्षा परिषद्,**

**उत्तर प्रदेश सचनञ्**

संख्या- पारिधिक्/परिषद् सचनञ्/2021/3537

सचनञ्- दिनांक- 09/08/2021

**सर्वोच्च आदेश:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/फर्मीसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई देहली द्वारा विधिक् संख 2021-22 हेतु विनियमावली-2018 को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपरान्त पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सचनञ् से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद् सर्वोच्च में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा संख 2021-22 हेतु आवेदित नए संस्थाओं को सम्बद्धता एवं से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सचनञ् द्वारा संख 2021-22 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 2055-DILIP KISHORE MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA, SITAPUR-261001	
क्रमसंख	सचनञ् का नाम
1	DIPLOMA IN PHARMACY
	एचआईसीटीआईपीपीसीआईपीपीसी द्वारा विधिक् संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता : 60
	परिषद् द्वारा संख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता : 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एचआईसीटीआईपीपीसीआईपीपीसी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें पूरी का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिधिक् शिक्षा परिषद् संख 1982 तथा पारिधिक् शिक्षा परिषद् विनियमावली 1982, सीमांत विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन बर्षीय इंडीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹3-150-00/- प्रतिवर्ष, दो बर्षीय फर्मीसी पाठ्यक्रम हेतु ₹2-85000-00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो बर्षीय पाठ्यक्रमों (दो बर्षीय फर्मीसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹2-22500-00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वसूल करेगा। संस्था से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं की शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बुझ का वाकल द्वारा निर्मित किये जाने वाले वाकलपत्र प्रस्तुत करेगी। और तदनुसार कार्यवाही किया जला आवश्यक होगा। सीड निर्धारण समिति द्वारा संख 2021-22 हेतु सीड का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो सीड की नवीकरण ही अनु होगी।
- ✓ संस्था को 3000 पारिधिक् शिक्षा समिति का तथा 300 सदस्यों को सम्बद्ध किया जाता; विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सचनञ् के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समझ-बुझ पर निर्मित वाकलपत्र के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जला करना होगा।
- ✓ संस्था को एचआईसीटीआईपीपीसीआईपीपीसी से आगामी संख हेतु अनुमोदित पत्र किया जला संभव आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सचनञ् द्वारा बनाये गये विधिक्/विनियमावली/आविधिक/समाचार/निर्देशों एवं निर्देशक, पारिधिक् शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पारिधिक् शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के किये बाध्य होगी।

*(Signature)*  
 Director, Uttar Pradesh  
 Council of Technical Education

- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम की संरचना यदि यही आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने से अलग-अलग रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। (प्रारंभिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, वार्षिक शिक्षा निदेशावली एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात देना किता जाता है तथा टावर बंद के संबंध में ना. न्यूनतम देना किसी बच्चा की प्रतिभूति संबंधी अदेक निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।)
- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षण तथा पर्येषण एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीसीआईई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय से उपस्था करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अखण्ड संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं देना की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत अधिसूचना आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बतल, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपस्था करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-वैशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपस्था करने के साथ निर्गत नौकरी के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित स्थापित पाठ्यक्रम को धरादे जाने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपस्था कराये गये अधिसूचना, भूमि-सज्जा, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उत्तरेकाल का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो ताकाल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय विदेशीय टाउन यदि संस्था में भूमि, मयन, पर्येककरण, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीसीआईई/पीसीआईई/परिषद के मानकानुसार उपस्था नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनव्ययन कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव

पुणसं०- प्रारंभिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4808

दिनांक: 09/08/2021

संलग्निकाएँ:-

पुणसं०/परिषद/नियम DILIP KISHORE MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA, SITAPUR-201001

  
Dilip Kishore Mehrotra  
Institute of Pharmacy  
Vill & Post-Resora, Sitapur

  
(मुनीम कुमार सोनकर)

सचिव



संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृत्ति, भूमि, संरचना, आवास-आवक, सम्पत्ति, जंगल विद्या करने वाला सुनक, आवास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।

- ✓ संस्था की विद्या-प्रतिष्ठा हेतु उपयुक्त आवासों/आवकों का आवास के साथ-साथ संस्था के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ने कि संस्था में पर्याप्त संसाधित पर्याप्तता को प्राप्त करने हेतु निरन्तर समिति के असाह उपलब्ध कराये गये प्रतिवेद, भूमि-संग्रह, कर्मियों, आवास आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्याप्तता के संघालन में प्रवेश किया जाता है, और संस्था को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता आवास किसे करने की कार्यवाही भी करेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निरन्तर के दौरान यदि संस्था में भूमि, संरचना, कर्मियों, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताओं/सुविधाओं/सुविधाओं के सम्बद्धता उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता करों का अनुपालन न किये जाने आवास करों का अनुपालन किये जाने की विधि में विद्यमान अनुपालन/समाप्त करवाएँ की जाएगी।

  
(सम्बद्धता कर)

अधिक

संस्था- प्राधिकारित संख्या:2022/1818-8485

दिनांक: 20/11/2022

संस्था-

आवास/विद्या/DILIP KISHORE MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY, VILL & POST-RESORA, SITAPUR

  
(सम्बद्धता कर)

अधिक





